13.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप। वकील पक्षकारान द्वारा फुरारी के इजलासी उजरदारान एवं जीमा खिलेगाने की चालना की गई। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन से कानूनी विवाद। वकील	

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	साक्ष्य मुताल्लिका, शपथपत्र वादी की, एवं इकबाली जवाब दावा के आधार पर लोक अदालत की भावना ध्यान में रखते हुए वाद वादी को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, तद्नुसार निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता. पर ? किया गया। पत्रावली बैकल जरूरी कार्यवाही जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राजस्थान

प्रकरण संख्या– 79/2024

तारीख दायरा 03/01/2024

उनवान

दीपिका योगी पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र उम्र 19 वर्ष जाति नाथ निवासी डाबरी कलां तहसील सांगोद हाल मुकाम सहरोद तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।

–वादीनी–

बनाम

1– ललिता पत्नि स्व. श्री राजेन्द्र उम्र 50 वर्ष जाति नाथ निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद हाल मुकाम सहरोद तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।

2– कमलेश पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र पत्नि अजय उम्र 24 जाति नाथ निवासी माथना तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।

3– अंतिमा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र पत्नि श्री विजेन्द्र उम्र 21 वर्ष जाति नाथ निवासी मेरमा तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।

4– कविता पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र पत्नि श्री शिवराज उम्र 28 वर्ष जाति नाथ निवासी जामनगर बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय लेण्ड होल्डर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

–:: दावा अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट. ::–

उपस्थिति

श्री रमेश कुमार शर्मा (वादी वकील)
श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 13/7/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी जरिये अधिवक्ता एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डाबरीकलां पटवार हल्का दिल्लीपुरा

2..................लगातार

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

तहसील सांगोद जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या नया 117 पुराना 100 खसरा नम्बर 1147 रकबा 1.04 हैक्टर है, खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.64 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादीनी का 1/40 हिस्सा सम्मिलित खाते में अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज है, एंव अन्य ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद खाता संख्या 133 पुराना 140 सम्वत् 2074–2077 खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.11 हैक्टर,खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 883 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 885 रकबा 1.47 हैक्टर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.27 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादीनी के 1/60 हिस्सा दर्ज है।

2– यह कि वादीनी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार हैः–

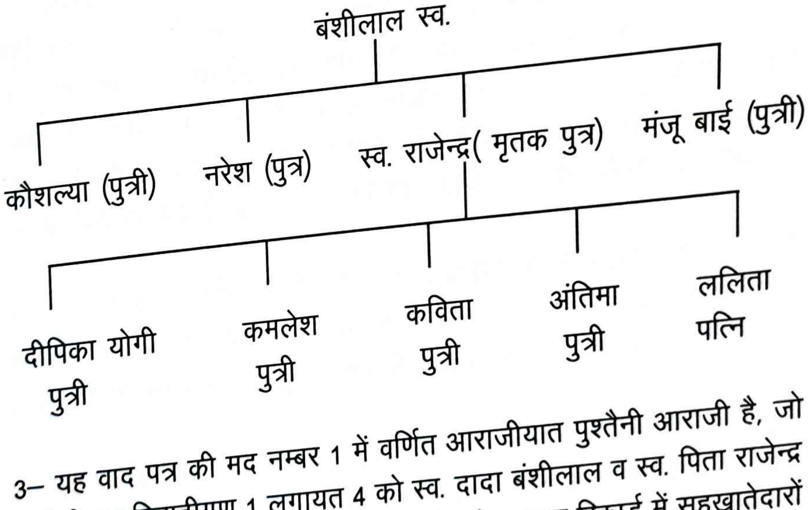

3– यह वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजी है, जो वादीनी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को स्व. दादा बंशीलाल व स्व. पिता राजेन्द्र की मृत्यू के बाद उत्तराधिक़ार में प्राप्त हुई है, जो राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारों के साथ हिस्से अनुसार दर्ज है।

4– यह कि वादीनी को उत्तराधिकार नाबालिग अवस्था में प्राप्त होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से बोलता नाम राजकुमारी पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र दर्ज कर दिया है। जबकि वादीनी का वास्तविक नाम दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र है, जो पैतृक ग्राम को छोडकर ग्राम सहरोद पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बांरा में निवास कर रही है, तथा वर्तमान में वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी की देखरेख वादीनी की माता ललिता बाई करती चली आ रही है।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

लगातार

5— यह कि वादीनी का सम्पूर्ण रिकार्ड प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2017—18 एंव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार प्रमाण पत्र अंकतालिका, माध्यमिक परीक्षा 2020 एंव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां बैंक खाता संख्या 4055083947, आयकर विभाग स्थाई लेखा संख्या BIPPY7666E व जनआधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 5010555326, आधार कार्ड संख्या 581396267926 उपरोक्त सभी राजकीय दस्तावेजों में वादीनी का नाम दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र जाति नाथ लिखा हुआ है, इसलिए वादीनी को अपना वास्तविक नाम राजकुमारी के स्थान पर दीपिका योगी पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र करवाना न्यायाहित में आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया गया है।

6— यह कि वादीनी को पारिवारिक व्यवस्था के लिए ऋण लेने के लिए विवाद ग्रस्त आराजी की जमाबंदी प्राप्त करने पर जमाबंदी से ज्ञात हुआ कि वादीनी का नाम दीपिका योगी के स्थान पर नाबालिग राजकुमारी पुत्री स्व. राजेन्द्र दर्ज है, जिसको लेकर वादीनी तहसील कार्यालय में तहसीलदार महोदय से नाम शुद्विकरण करने के लिए कहां तो तहसीलदार साहब द्वारा जानकारी दी घोषणा व शुद्वि का वाद प्रस्तुत कर नाम राजकुमारी पुत्री स्व. राजेन्द्र के स्थान वास्तविक नाम दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र के नाम की घोषणा करवाई जावें, तथा राजस्व रिकार्ड में वादीनी व प्रतिवादी अंतिमा का नाम नाबालिग दर्ज है, जो बालिग हो गई है, इसलिए नाबालिग हटाये जाने की घोषणा की जावें।

7— यह कि वाद कारण तहसीलदार साहब द्वारा दीपिका योगी वास्तविक नाम राजकुमारी के स्थान पर दर्ज करने से मना करने पर तथा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की एक माह पूर्व कहने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

8— यह कि वाद आराजी व पक्षकार सम्मानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से वाद को न्यायायलय द्वारा सुनने का श्रवधाधिकार प्राप्त है। यह कि वाद कारण तथा वाद मूल्यांकल वाद फीस समयावधि मध्य पर सम्मानीय न्यायालय उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिग्री सादर फरमाई जावें।

4..................लगातार

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अ. यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 117 पुराना 100 कुल 2 किता 1.68 हैक्टर आराजी में दर्ज वादीनी का नाम नाबालिग राजकुमारी पुत्री स्व. राजेन्द्र के स्थान दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र दर्ज करने की घोषणा की जावें, एंव खाता संख्या खाता संख्या 133 नया 140 पुराना कुल खसरा 8 किता की कुल रकबा 4.27 हैक्टर आराजी में वादीनी का नाम नाबालिग राजकुमारी पुत्री राजेन्द्र के स्थान पर दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र करने की घोषणा की जावें।

ब. यह राजस्व रिकार्ड वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित नाबालिग अंतिमा पुत्री स्व. राजेन्द्र संरक्षक वली माता दर्ज है, जबकि अंतिमा आयु 21 वर्ष बालिग हो चुकी है, इसलिए बालिग दर्ज करने की घोषणा की जावें।

1— उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 तक की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशफाक ने वकालत नामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया, वादीनी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीनी का प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी—1 जमाबंदी ग्राम डाबरीकलां खाता संख्या नया 117 पुराना 100, प्रदर्श पी— 2 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम डाबरीकलां खाता संख्या नया 135 पुराना 140, प्रदर्श पी—3 प्रारम्भिक शिक्षा पूर्व का प्रमाण पत्र सन् 2017 से 2018, प्रदर्श पी— 4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका परीक्षा 2020, प्रदर्श पी— 5 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 अंकतालिका, प्रदर्श पी—6 भारतीय स्टेट बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बांरा बैंक खाता संख्या 4055083947, प्रदर्श पी— 7 आयकर विभाग स्थाई लेखा संख्या BIPPY7666E कार्ड, प्रदर्श पी—8 जन आधार कार्ड संख्या 5010555326 परिवार पहचान पत्र, प्रदर्श— 9 आधार कार्ड संख्या 581396267926, प्रदर्श— 10 परिवार राशन कार्ड बार कोर्ड संख्या 200001657551 ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बांरा प्रस्तुत कर परिलिखित करवाया गया। प्रतिवादी नम्बर 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी नम्बर 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, अधिवक्ता व उभय पक्षकारान द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने से वाद स्वीकार की जाने की प्रार्थना की।

उक्त प्रकरण में मैने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व वादी प्रतिवादी की बहस सुनी गई, बहस में वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद को स्वीकार कर डिकी दिए जाने की प्रार्थना की।

5.....................लगातार

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से मैने यह पाया कि पत्रावली में जो दस्तावेज इकबाली जवाब प्रतिवादी 1 लगायत 4 उपलब्ध है, उनसे यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

तथा आदेश दिया जाता है कि आराजी ग्राम डाबरीकलां पटवार हल्का दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 117 पुराना 100 खसरा नम्बर 1147 रकबा 1.04 हैक्टर है, खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.64 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर एंव ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद के खाता संख्या 133 पुराना 140 सम्वत् 2074–2077 खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.11 हैक्टर,खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 883 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 885 रकबा 1.47 हैक्टर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.27 हैक्टर में दर्ज वादीनी का नाम नाबालिग राजकुमारी पुत्री स्व. राजेन्द्र योगी के स्थान पर दीपिका योगी पुत्री स्व. राजेन्द्र योगी दर्ज करने की घोषणा की जाती है, एंव प्रतिवादीनी क्रम 3 अंतिमा का नाम × × × × × × × × वर्णित राजस्व रिकार्ड में नाबालिग अंतिमा पुत्री स्व. राजेन्द्र योगी संरक्षक जरिये माता वली दर्ज है, अंतिमा बालिग हो चुकी है, इसलिए नाबालिग एंव वली माता के नोट को हटाये जाने की घोषणा की जाती है, उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दूरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा, डिकी पर्चा प्रथम से जारी किया जावें।

पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम की जावें।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)
([illegible] मीणा)
आर.ए.एस.
उपखंड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13/7/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)
([illegible] मीणा)
आर.ए.एस.
उपखंड अधिकारी सांगोद